सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

कार्तिक 17, बुधवार, *शाके* 1945-नवम्बर 08, 2023
Kartika 17, Wednesday , Saka 1945- November 08, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 02, 2023

(अन्तर्गत भूमि अर्जन पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

संख्या 4968519 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षित अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार चम्बल नदी कोटा/बुन्दी पर इन्द्रगढ़ ढीबरी रजोपा इटावा शहनावदा ललितपुर रोड़ (स्टैट हाइवे 120) ग्राम गोठड़ा कलां में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य किया जाना है। जिसकी स्वीकृति एसआरएफ स्टेट हाइवे योजना के तहत अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 7(09)/Aud.II/2023-24/D-73 दिनांक 13.9.2023 द्वारा राशि रू 256.46 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें हाई लेवल ब्रिज बनाये जाने है। एप्रोच रोड़ के लिऐ नदी के दोनों और भुमि अवाप्ति की जानी है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्रं.स.	जिला	तहसील	ग्राम
1	बून्दी	इन्द्रगढ़	चाणदा खुर्द
2	बून्दी	इन्द्रगढ़	खेड़ली खुर्द
3	कोटा	पीपल्दा	ढीबरी चम्बल
4	कोटा	पीपल्दा	गोठड़ा कलां

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारित हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्टेट हाइवे 120 पर हाई लेवल ब्रिज के दोनो और एप्रोच रोड़ के लिए नदी के दोनो और भुमि अवाप्ति ग्राम चाणदा खुर्द, खेड़ली खुर्द, ढीबरी चम्बल एवं गोठड़ा कलां का चयन किया जाना है।
उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू -अर्जन से प्रभावित ग्रामों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भुमि अर्जन, पुर्नवासन, और पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रकिया निम्नानुसार होगी।

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियो का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवो में संबंधित सभा तत्पश्चात प्रभावित गांवो में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जन जावेगी। जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियो के समुचित समाधान सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रकिया प्रभावित गांवो में संबंधित पंचायत के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अंकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड इटावा जिला कोटा
eepwditawa@rediffmail.com

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड इटावा जिला कोटा
श्री मुकेश चन्द मीना
मो. 9414256305

अधिशाषी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड इटावा जिला कोटा
eepwditawa@rediffmail.com

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।